कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone: **0135 2665366**

विज्ञप्ति संख्याः 109 /2022 दिनांक 10 जून, 2022

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदो हेतु अभिलेख सत्यापन सम्बन्धी आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0(स्वा0कार्य0)/12/2021–22/130, दिनांक 15 मार्च, 2022 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से अनधिक 25 प्रतिशत की सीमा तक अभ्यर्थियों को बोर्ड के समक्ष अभिलेख सत्यापन **दिनांक 25 जून, 2022 (शनिवार) से दिनांक 06 जुलाई 2022 (बुधवार) तक** कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आमत्रित किया जाता है। अभ्यथियों हेतु अभिलेख सत्यापन सम्बन्धी दिशा निर्देश एवं तिथिवार सूची बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट **www.ukmssb.org** पर उपलब्धहै। जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु आमत्रित किया गया है वे दिनांक 10 जून, 2022 से प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपने पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकते है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अपना पंजीकरण संख्या बोर्ड की वैबसाइट पर तिथिवार आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में जांच ले।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र औपबन्धिक है तथा मात्र अभिलेख सत्यापन हेतु मान्य है। इसके आधार पर अभ्यर्थी चयन हेतु कोई भी दावा नही कर सकता है। अतः अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य अनिवार्य अर्हतायें, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि (दिनांक 15 अप्रैल 2022) तक पूर्ण करता हो। अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार/मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियों से भिन्न कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक/वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने तथा आवेदन पत्र से डाटा का सही मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। **किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार बोर्ड को होगा।**

ह0/–
(गरिमा रौंकली)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।